(4)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2018/1754 विरूद्ध आदेश दिनांक 27.01.2018 पारित द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 218/अपील/16-17.

---

1. गुलाबबाई पत्नी श्री पूरनसिंह
2. पूरनसिंह आ. स्व. श्री आलमसिंह

निवासीगण वीरपुर, तहसील बेगमगंज

जिला रायसेन, म.प्र. .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. श्रीमती जमनाबाई पत्नी स्व. श्री रतनसिंह
2. श्रीमती सुषमाबाई पुत्री स्व. रतनसिंह पत्नी श्री कैलाश

निवासीगण वीरपुर तहसील बेगमगंज

जिला रायसेन, म.प्र. .....अनावेदकगण

श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री जगदीश जैन, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/10/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 27.01.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मौजा वीरपुर, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन स्थित भूमि खसरा नंबर 185, 186, 214/1 जुमला रकबा 12.95 एकड़ राजस्व अभिलेख में अनावेदक क्रमांक 1 के पति एवं अनावेदक क्रमांक 2 के पिता श्री रतनसिंह एवं आवेदक क्रमांक 2 श्री पूरनसिंह दोनों आ. श्री आलमसिंह के नाम शासकीय अभिलेख में अभिलिखित थी। प्रश्नाधीन

भूमि में से 4.00 एकड़ संशोधन क्रमांक 5 प्रमाणित दिनांक 25.09.1991 के माध्यम से आवेदक क्रमांक 1 के नाम अंकित हुई। इस संशोधन से परिवेदित होकर अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी, बेगमगंज, रायसेन के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 50/अ-27/अपील/15-16 दर्ज कर संशोधन क्रमांक 5 दर्ज दिनांक 17.07.1991 प्रमाणित दिनांक 25.09.1991 पर बंटवारा करने, अस्पष्ट आदेश, प्रक्रियाओं का एवं नियमों की अवहेलना करते हुए उसे निरस्त कर, अभिलेख संशोधित हों तथा समस्त संबंद्ध पक्षकार वादग्रस्त भूमियों के संबंध में सिविल न्यायालय से उपचार प्राप्त करें एवं तत्पश्चात् राजस्व न्यायालय से अभिलेख में प्रविष्टियॉ दर्ज कराने की प्रक्रिया अपनाये जाने का आदेश दिनांक 21.08.2017 पारित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई। आयुक्त द्वारा दिनांक 27.01.2018 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 21.08.2017 स्थिर रखते हुए अपील अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अनावेदकगण को इस तथ्य की भलीभांति जानकारी थी कि प्रश्नाधीन भूमि राजस्व रिकॉर्ड में स्व. रतनसिंह एवं आवेदक क्रं. 2 की सहमति के आधार पर आवेदक क्रमांक 1 के नाम पर दर्ज हुई है तथा प्रश्नाधीन भूमि को आवेदक क्रमांक 1 द्वारा बंधक रख कर ऋण राशि भी प्राप्त की गई है। अनावेदकगण ने उक्त तथ्यों को छुपाते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार किये बिना ही विवादित आदेश पारित करने में गंभीर त्रुटि की है।

(2) विधि का यह सिद्धांत है कि यदि कोई पक्षकार विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं है, तो उसे अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करने बावत् सर्वप्रथम अनुमति दिये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, परंतु अनावेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदकगण को अपील प्रस्तुत करने के संबंध में

कोई अनुमति नहीं दी गई। परिणामस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश प्रथम दृष्टया ही अवैधानिक होने से निरस्ती योग्य है।

(3) विधि का यह सिद्धांत है कि सहमति के आधार पर कि किसी भी कार्यवाही के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। प्रश्नाधीन भूमि रतनसिंह एवं आवेदक क्रमांक 2 द्वारा आवेदक क्र. 1 को सहमति के आधार पर बंटवारे में दी गई थी। रतन द्वारा अपने जीवनकाल में प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। इसलिए रतनसिंह एवं आवेदक क्रमांक 2 की सहमति के आधार पर की गई कार्यवाही के विरूद्ध अनावेदकगण को कोई कार्यवाही करने की अधिकारिता नहीं थी, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार किये बिना ही विचाराधीन आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है।

(4) अनावेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वत्व के आधार पर प्रकरण प्रस्तुत किया गया था, परंतु स्वत्व के निराकरण का एकमात्र क्षेत्राधिकार व्यवहार न्यायालय को है। राजस्व न्यायालयों को स्वत्व के निराकरण करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी उचित आधार के तहसील न्यायालय द्वारा की गई नामांतरण की कार्यवाही को निरस्त करने में त्रुटि की गई है।

(5) अनावेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विलंब परिमार्जन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में ऐसा कोई वैधानिक आधार उल्लेखित नहीं किया गया है, जिसके आधार पर अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत अपील को समयावधि में माना जा सके, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी उचित आधार के विवादित आदेश के द्वारा अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत अपील को समयावधि में मानने में त्रुटि की गई है।

(6) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायिक एवं बोलता हुआ आदेश नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उनके द्वारा प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकरण की वास्तविक परिस्थितियों पर विचार किये बिना आदेश पारित किया गया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय का यह न्यायिक कर्तव्य था कि प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकरण की वास्तविक परिस्थितियों पर नियमानुसार विचार करने के उपरांत ही कारण सहित आदेश पारित करते।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यक्ति स्वयं जीवित रहते हुये बिना अन्तरण दस्तावेज के अपनी पत्नि के नाम भूमि अंतरित नहीं कर सकते थे । वैसे भी पंजी पर किया गया नामान्तरण/बंटवारा प्रथमदृष्टया ही त्रुटिपूर्ण था । अत: अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में हस्ताक्षेप किये जाने का कोई वैधानिक आधार इस निगरानी में नहीं है । इस संबंध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्दस्वरूप व अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है -

"धारा - 50 - समवर्ती निष्कर्ष - अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं - पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये ।"

अत: उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.01.2018 स्थिर रखा जाता हे । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर